महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के आरक्षण के लिए समर्पित आयोग

कक्ष क्र. ११५, प्रथम तल, ए१ भवन, वडाला ट्रक टर्मिनल, वडाला आरटीओ के पास, वडाला, मुंबई - ४०० ०३७

MS/DCBCCMH/२०२२/८४ दिनांक: १८ एप्रिल २०२२

सार्वजनिक सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने २०१९ की रिट याचिका (सिविल) संख्या ९८० में अपने दिनांक ४ मार्च २०२१ के आदेश द्वारा, पैरा १२ में, महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन के स्वरूप एवं निहितार्थ की समकालीन कठोर प्रयोगसिद्ध जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है।

तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग की, दिनांक ११ मार्च २०२२ की अधिसूचना के द्वारा, "महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के आरक्षण के लिए समर्पित आयोग" का गठन किया है।

महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन के स्वरूप एवं निहितार्थ की समकालीन कठोर प्रयोगसिद्ध जांच करने के लिए, संदर्भ की शर्तों के अनुसरण में, आयोग नागरिकों से, संस्थाओं से, संगठनों से और पंजीकृत राजनीतिक दलों से अभ्यावेदन / सुझाव आमंत्रित करता है।

आपके अभ्यावेदन/सुझाव, लिखित रूप में, १० मई २०२२ तक निम्नलिखित ईमेल आईडी/व्हाट्सएप नंबर/डाक पते पर भेजे जा सकते हैं।

ईमेल	dcbccmh@gmail.com
व्हाट्सएप नंबर	+912224062121
डाक का पता	कक्ष क्रमांक ११५, पहली मंजिल, ए१ बिल्डिंग, वडाला ट्रक टर्मिनल, वडाला आर.टी.ओ. के पास, वडाला, मुंबई ४०० ०३७.

सदस्य सचिव
समर्पित आयोग